

कस्टम मिलिंग घोटाले में अनवर ढेबर की जमानत खारिज

रायपुर @ पत्रिका. कस्टम मिलिंग घोटाले में जेल भेजे गए अनवर ढेबर की जमानत को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अनवर ने ईओडब्ल्यू के विशेष न्यायाधीश की अदालत में लगाए गए अपने आवेदन में बताया

था कि उसे झूठे प्रकरण में फंसाया गया है। कस्टम मिलिंग घोटाले से उसका कोई संबंध नहीं है। पिछले काफी समय से इस घोटाले की जांच चल रही है, लेकिन एक बार भी पूछताछ नहीं की गई। इस प्रकरण के

मुख्य आरोपी माकफेड के तत्कालीन एमडी मनोज सोनी जमानत पर रिहा किए जा चुके हैं। इस घोटाले से उनका कोई लेना देना नहीं है फिर भी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया।